प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 12 सन् 2008

आवेदिका : श्रीमती ताहिरा बेगम

बनाम

अनावेदकगण : देवी सिंह तथा अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 25-01-2010 को सूचिबद्ध किया जाए।

हस्ताक्षर

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 12 सन् 2008

आवेदिका : श्रीमती ताहिरा बेगम

बनाम

अनावेदकगण : **देवी सिंह तथा अन्य**

आदेश 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन पुनरीक्षण

(एकल पीठ: माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : आवेदिका के लिए श्री श्रीकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,सहित श्री आनंद गुप्ता, अधिवक्ता

अनावेदकगण क्रमांक-**1** के लिए श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता

अनावेदकगण क्रमांक-**2** के लिए श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक **25** जनवरी, सन् **2010** को पारित**)**

यह पुनरीक्षण दिनांक **14-12-2007** के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है जो माननीय अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा व्यवहार वाद संख्या **1**-अ **/2006** में पारित किया गया था।

2. निर्विवाद रूप से वादी/अनावेदकगण संख्या-**1** ने आवेदक तथा अनावेदकगण संख्या-**2** के विरुद्ध स्वत्व की घोषणा, कब्जा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति की अनुतोष मांगते हुए वाद दायर किया था। उक्त वाद को व्यवहार वाद संख्या **3**-अ/**2003** के रूप में पंजीबद्ध हुआ था।

3. उक्त वाद दिनांक **04-10-2005** को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **9** नियम **8** के अधीन अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया। वादी ने आदेश **9** नियम **9** के अधीन पुनर्स्थापन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके स्थान पर ठीक उसी वाद-कारण पर, ठीक उन्हीं पक्षकारों के विरुद्ध, ठीक उन्हीं राहतों के लिए केवल वाद-मूल्य को चार लाख पचास हजार नौ सौ रुपये करके नया वाद दायर कर दिया, जो माननीय अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष व्यवहार वाद संख्या **1**-अ/**2006** के रूप में पंजीबद्ध हुआ। आवेदक ने अपने लिखित कथन में वाद की पोषणीयता पर आपत्ति उठाई। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस संबंध में प्रारंभिक प्रश्न गठित किया तथा आक्षेपित आदेश द्वारा केवल वाद-मूल्य भिन्न होने के आधार पर वाद को पोषणीय मान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री श्रीकुमार अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभिवचन किया कि दोनों वाद पत्रों (अनुलग्नक पी-**1** तथा पी-**3**) का साधारण अवलोकन ही यह स्पष्ट कर देगा कि दोनों वाद पूर्णतः एकसमान हैं; एक ही वाद-कारण पर, एक ही पक्षकारों के मध्य, एक ही अनुतोषो के लिए दायर किए गए हैं; केवल घोषणा की अनुतोष का मूल्यांकन भिन्न कर दिया गया है। केवल मूल्यांकन को भिन्न कर देने मात्र से वाद-कारण परिवर्तित नहीं होता। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय रामजी

जानकीजी एवं अन्य बनाम मौनी बाबा काले कम्बलवाला जय सियाराम दासजी एवं अन्य; ए.आइ.आर **1978** पटना **48** मे प्रकाशित का अवलोकन किया है। वादी/अनावेदक संख्या-**1** के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा ने तर्क दिया कि चूंकि पूर्व वाद दिनांक **04-10-2005** को प्रभावी सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं था, इसलिए न्यायालय को आदेश **9** नियम **8** के अधीन वाद खारिज करने का अधिकार नहीं था और वर्तमान वाद आदेश **9** नियम **9** से वर्जित नहीं है।

5. इसके विपरीत, वादी/अनावेदक संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा ने अभिवचन किया कि चूँकि पूर्व वाद दिनांक 04-10-2005 को प्रभावी सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं था, इसलिए न्यायालय को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 9 नियम 8 के अधीन वाद खारिज करने की अधिकारिता नहीं थी तथा यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान वाद आदेश 9 नियम 9 के अधीन वर्जित है। इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय मेथाराम बसारमल बनाम खटूमल जीऊमल; 1962 जे.एल.जे. 599 पर मे प्रकाशित का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

7. तथ्य अधिकांशतः निर्विवाद हैं। दिनांक 04-10-2005 को विचारण न्यायालय ने वाद को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 9 नियम 8 के अधीन खारिज कर दिया। पुनर्स्थापना हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्थान पर

केवल वाद-मूल्य परिवर्तित करके मूलतः एक ही वाद-कारण पर नया वाद दायर कर दिया गया।

8. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **9** के नियम **3, 4, 8** तथा **9** के प्रावधान निम्नानुसार हैं **:**

3. दोनों पक्षकारों का अनुपस्थित रहना – वाद खारिज।**-** जब वाद सुनवाई के लिए पुकारा जाए तथा कोई भी पक्षकार उपस्थित न हो तो न्यायालय वाद खारिज करने का आदेश कर सकता है।

4. वादी नया वाद दायर कर सकता है अथवा न्यायालय वाद को पुनः फाइल पर ले सकता है।**-** नियम **2** या नियम **3** के अधीन वाद खारिज होने पर वादी **(**परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए**)** नया वाद दायर कर सकता है अथवा खारिजगी निरस्त करने का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उसके द्वारा नियम **2** में उल्लिखित असफलता अथवा उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था तो न्यायालय खारिजगी निरस्त करने का आदेश करेगा तथा वाद को आगे बढ़ाने के लिए तारीख नियत करेगा।

8 केवल अनावेदकगण के उपस्थित होने की दशा में प्रक्रिया।**-** जब वाद सुनवाई के लिए पुकारा जाए तथा अनावेदकगण उपस्थित हो किंतु वादी अनुपस्थित रहे तो न्यायालय वाद खारिज करने का आदेश करेगा**,** जब तक कि अनावेदकगण दावे को या उसके किसी भाग को स्वीकार न कर ले। यदि अनावेदकगण दावा स्वीकार कर ले तो न्यायालय उसके विरुद्ध स्वीकृति के आधार पर डिक्री पारित करेगा और यदि केवल दावे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का भाग ही स्वीकृत हुआ हो तो शेष भाग के संबंध में वाद खारिज कर देगा।

9 वादी के अनुपस्थिति-जनित डिक्री उसी वाद-कारण पर नया वाद दायर करने से प्रतिषिद्ध करती है।- **(1)** नियम **8** के अधीन वाद पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज होने पर वादी उसी वाद-कारण के संबंध में नया वाद दायर करने से प्रतिषिद्ध होगा। किंतु वह खारिजगी निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय को यह संतुष्ट कर दे कि सुनवाई की तारीख को उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था तो न्यायालय यथोचित व्यय या अन्य शर्तों सहित खारिजगी निरस्त करने का आदेश करेगा तथा वाद को आगे बढ़ाने के लिए तारीख नियत करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **9** पक्षकारों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के परिणामों से संबंधित है। यदि वाद सुनवाई के लिए पुकारा जाए और दोनों में से कोई भी पक्षकार उपस्थित न हो तथा न्यायालय वाद खारिज कर दे तो वादी को उसी वाद-कारण पर नया वाद दायर करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया जाता। किंतु यदि अनावेदकगण उपस्थित हो और वादी अनुपस्थित रहे तथा न्यायालय वाद खारिज कर दे तो वादी के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वह खारिजगी निरस्त करने के लिए आवेदन करे, किंतु उसी वाद-कारण के संबंध में नया वाद दायर करने से वह प्रतिषिद्ध रहेगा।

10. आदेश **9** नियम **9** व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त “उसी वाद-कारण” शब्दों के अर्थ पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सुरज रत्तन थिरानी एवं

अन्य बनाम आजमाबाद टी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य**;** वायु **1965** उच्चतम न्यायालय **295** के वाद में अपने निर्णय के कर्णिका **30** में निम्नानुसार अवधारित किया है **:**

30. हमारा विचार है कि दो वादों में वाद-कारण की एकसमान ता निर्धारित करने के लिए न्यायिक समिति ने मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली मियाँ**; 75** इंडियन अपील्स **121 (**वायु **1949** प्रिवी कौंसिल **78)** में अपनाया गया परीक्षण ठोस है और उसने इस प्रावधान की सम्यक् व्याख्या की है। उस वाद में सर माधवन नायर ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **2** नियम **2** के खंड **(1)** में समान संदर्भ में प्रयुक्त "उसी वाद-कारण" अभिव्यक्ति के अर्थ पर विस्तृत विचारोपरांत निम्नानुसार अवलोकन किया था **:**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यह विचार करते समय कि पश्चात्वर्ती वाद का वाद-कारण पूर्ववर्ती वाद के वाद-कारण से एकसमान है या नहीं**,** जो परीक्षण लागू किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या दोनों वादों के वाद-कारण तात्विक रूप से – तकनीकी रूप से नहीं – एकसमान हैं**?**

11. गुजरात उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड**,** बड़ौदा एवं अन्य बनाम सौराष्ट्र केमिकल्स**,** पोरबंदर**;** वायु **2004** गुजरात **83** के वाद में अपने निर्णय के कर्णिका **4** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई व्यवहार वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **9** नियम **9** के अधीन खारिज किया गया हो तो आदेश **9** नियम **9** ही उसी वाद-कारण पर दूसरा वाद दायर करने से प्रतिषिद्ध करती है।

12. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 9 नियम 9 में प्रयुक्त भाषा की उपर्युक्त व्याख्या तथा वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह निर्विवाद है कि पश्चात्वर्ती वाद "उसी वाद-कारण" पर दायर किया गया है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश तथा गुजरात उच्च न्यायालय के निदेश (जिनसे यह न्यायालय पूर्णतः सम्मत है) के परिप्रेक्ष्य में भी यह निर्विवाद है कि जहाँ प्रथम वाद वादी की अनुपस्थिति के कारण आदेश 9 नियम 8 के अधीन खारिज किया गया हो, वहाँ आदेश 9 नियम 9 उसी वाद-कारण पर दूसरा व्यवहार वाद दायर करने से पूर्णतः प्रतिषिद्ध करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह कहना एक बात है कि दिनांक 04-10-2005 की खारिजगी का आदेश त्रुटिपूर्ण था, अतः वादी द्वारा आदेश 9 नियम 9 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर उसे निरस्त किया जाना चाहिए था। किंतु यह कहना सर्वथा असंगत है कि चूँकि विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 8 के अधीन वाद खारिज करने में त्रुटि की, इसलिए वह खारिजगी आदेश 9 नियम 8 के अधीन न होकर किसी अन्य प्रावधान के अधीन हो गई और वादी को नया वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

श्री वर्मा से स्पष्ट रूप से प्रश्न करने पर भी वे इस वाद में लागू कोई ऐसा सक्षम प्रावधान इंगित नहीं कर सके जिसके आधार पर दिनांक 04-10-2005 की खारिजगी को आदेश 9 नियम 8 के अधीन खारिजगी न माना जाए। अतः उनका यह अभिवचन कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04-10-2005 को की गई खारिजगी आदेश 9 नियम 8 के अधीन नहीं थी, पूर्णतः निराधार है।

13. श्री वर्मा द्वारा उद्धृत प्रकरण भी उनके किसी काम का नहीं है। मेथाराम बसारमल बनाम खटूमल जीऊमल **(**पूर्वोक्त**)** में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विस्थापित व्यक्तियों **(**ऋण समायोजन**)** अधिनियम**, 1951** की आदेश **40** के दायरे पर विचार करते हुए**,** जो उक्त अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अंतिम डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है**,** यह अभिनिर्धारित किया था कि "अंतिम आदेश" के अंतर्गत अनुपस्थिति-जनित खारिजगी का आदेश भी आता है जिसका प्रभाव कार्यवाही को सदा के लिए समाप्त करना होता है**,** इसलिए ऐसे आदेश भी अपील योग्य हैं। उस प्रकरण में आदेश **9** नियम **9** व्यवहार प्रक्रिया संहिता का दायरा तथा प्रभाव**,** जो वादी की अनुपस्थिति से खारिज प्रथम वाद के उसी वाद-कारण पर दूसरा वाद दायर करने से प्रतिषिद्ध करता है**,** विचाराधीन ही नहीं था। अतः उस निर्णय का सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर किसी भी प्रकार लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त के दृष्टिगत इस न्यायालय को कोई संकोच नहीं है कि पूर्व वाद विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश **9** नियम **8** के अधीन

खारिज किया गया था तथा आदेश **9** नियम **9** के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में उसी वाद-कारण पर दायर यह दूसरा वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश स्पष्टतः विधिविरुद्ध एवं अवैध है तथा इसे निरस्त किया जाता है। वादी द्वारा दायर वाद आदेश **9** नियम **9** व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाता है। व्यय के सबंध मे कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी